



227

समक्ष न्यायालय-श्रीमान राजस्व मंडल म० प्र०, ग्वालियर-केप, जलपुर

अपील क्रमांक: 823-II/2010

अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत  
 प्रस्तुतकार २१ मई २०१०  
 21 MAY 2010  
 अधिवक्ता  
 कार्यालय कमिश्नर, जलपुर संभाग

श्रीमति मंजुला उर्फ पत्नी स्व०

विनायक राव उर्फ उम्र 38 वर्ष

निवासी-ग्राम-टिकरिया तह० निवास

जिला-मंडला म० प्र० :- अपीलार्थी

विरुद्ध

१। मध्य प्रदेश शासन

२। रेश विनायक राव गौड दिवंगत

निवासी-ग्राम-टिकरिया तहसील -

निवास जिला-मंडला म० प्र० :- प्रत्यर्थागण

अपील अंतर्गत धारा-44(2) म० प्र० भू० रत० संहिता 1959

अपीलार्थी अतिरिक्त कमिश्नर, जलपुरद्वारा प्रकरण क्रमांक- 368-अ-39/01-02 में पारित आदेशदिनांक 5/2/10 चिस्के द्वारा अपीलार्थी की कलेक्टर मंडला द्वारा प्रकरण क्रमांक- 186/अ-39/99-2000 में पारित आदेशदिनांक 9/5/02 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील निरस्त की गई है। से परिचेदित होकर अपीलार्थी नीचे दर्शाये अनुसार यह अपील प्रस्तुत करती है:-

अपील के तथ्य

1- यह कि ग्राम-टिकरिया प०ह० नं०-27 तहसील-निवास जिला-मंडला के अंतर्गत भूमि खसरा नं०-2,3 क्रमशः ख ब T 0.12 , 0.33 हे० भूमि सुरज वल्द झल्ली गौडके नाम पर भूमिस्वामी हक में अंकित रही है भूमि खसरा नं०-2 में से ख ब T 0.07 हे० खसरा नं०-3 , ख ब T 0.33 हे० कुल भूमि 0.40 हे० भूमि जरिये नामा दिनांक 8/10/93 के आधार पर अपीलार्थी क्रेता द्वारा विधिवत क्रय की गयी क्रेता, विक्रेता दोनों ही गौड जाति के अंतर्गत अनुसूचित जाति के सदस्य है। क्रय उपरान्त भूमि क्रेता/अपीलार्थी मनोज आत्मज विनायक उर्फ के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुई एवं उक्त भूमि का वयसायिक प्रयोजन हेतु व्यवहृत भी कराया

80  
 मा. प्र. शा. जलपुर  
 सु. मा. प्र. शा. 9-6-10  
 अ. प्र. शा.  
 9-6-10

R/Na



